

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. अरुण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 82/2026

जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी नगरपालिका सुलताना वार्ड नम्बर 6 तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 19.03.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 26.02.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 82/2026 पर दिनांक 26.02.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2026/613-14 दिनांक 05.03.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू ने पत्रांक एफ.16(4)(5)न्याय/सू.अ./2026/357 दिनांक 10.03.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू.अ./2026/65 दिनांक 03.02.2026 के द्वारा तहसीलदार चिड़ावा एवं प्रभारी अधिकारी, विधि अनुभाग कलेक्ट्रेट झुंझुनू को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। प्रभारी अधिकारी विधि अनुभाग के पत्र क्रमांक 421 दिनांक 17.02.2026 के द्वारा आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू.अ./2026/65 दिनांक 03.02.2026 के द्वारा तहसीलदार चिड़ावा एवं प्रभारी अधिकारी, विधि अनुभाग कलेक्ट्रेट झुंझुनू को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। प्रभारी अधिकारी विधि अनुभाग के पत्र क्रमांक 421 दिनांक 17.02.2026 के द्वारा आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू द्वारा निर्धारित समय अपीलार्थी का आवेदन संबंधित को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु भिजवा दिया गया था। अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 19.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. अरुण गर्ग)

जिला कलक्टर, झुंझुनू